प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......267./2022.......दिनांक....30.|6|2022

2. (I) **अधिनियम** ... धारायें:-. 7 पी0सी0 (संशोधित) एक्ट 2018...................... (II) **अधिनियम** ....धारायें ....

(III) **अधिनियम** .... धारायें ....

(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....600 **समय**......7.00 P.M.

(ब) **अपराध घटने का वार**.....बुधवार.....**दिनांक** 29.06.2022 **समय** 10.20 पीएम

(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 28.06.2022

4. **सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक**- लिखित

5. **घटनास्थल :**- चाकसू बस स्टेण्ड, सांगानेर पुलिया के पास, जयपुर

(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब** दक्षिण दिशा में करीब 9 कि0मी0

(ब) बीट संख्या..............जयरामदेही सं.................

(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**

(अ) **नाम:-** श्री सुभाष शर्मा ....

(ब) **पिता/पति का नाम:-** स्व. श्री रामकुमार

(स) **जन्म तिथी/वर्ष वर्ष**............उम्र 71 साल..................

(द) **राष्ट्रीयता:-** भारतीय

(य) **पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह** ....

(र) **व्यवसाय:-** प्राईवेट कार्य

(ल) पता:- मोहल्ला- प्लॉट नम्बर 84 सैक्टर 03, जैम्स कोलोनी, विद्याधर नगर, जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -**

1. श्री लूण करण कुम्हार पुत्र श्री सुरज मल कुम्हार, उम्र 60 साल निवासी वीपीओ देवल, पुलिस थाना शाहपुरा, जयपुर हाल प्लाट नं. 195/106, प्रताप नगर, एनआरआई कॉलोनी के पास, सेक्टर-19, सांगानेर, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर हाल रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), राजस्थान शहरी पेयजल, सिवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको), कार्यालय मोनोलेक हॉस्पिटल के पास, 4-एसए-24, जवाहर नगर, जयपुर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**

रिश्वती राशि 5.07 लाख रूपये (1.57 लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा व 3.50 लाख डमी करेंसी)

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :-** 1.57 लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा
व 3.50 लाख डमी करेंसी

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

Suresh

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

दिनांक 28.06.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे व्यक्ति श्री सुभाष शर्मा से परिचय करवाकर उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के नाम मार्क करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। इस पर मन् उपअधीक्षक ने श्री सुभाष शर्मा को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकुमार उम्र 71 साल निवासी प्लॉट नम्बर 84 सैक्टर 03, जैम्स कोलोनी, विद्याधर नगर, जयपुर होना बताया जिसने अपने हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें श्रीमान्, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, विषय रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत्, मान्यवर महोदय, नम्र निवेदन है कि मैने 2017 में रविन्द्र मंच का (Interior Decoration renovation) का कार्य किया था। जिसका पूर्णरूप से मुझे अभी तक(Rudsico Dept.) से नही मिला है करीब 1,00,00,000/- एक करोड़ का भूगतान बाकी है जिसके सम्बंध में सभी अधिकारियो Reqest करता रहा हूं आज दिनांक 28.06.22 को (Executive Resident Engneer) श्री लूणकरण जी ने मुझे बुलाया तथा मुझे कहा कि अगर आप मुझे 5 लाख रूपये अभी दे दो तो मेरे पास फण्ड से 50 लाख तक का मै कल आपको RTGS कर दूंगा। बाकी 3% S.D रोककर आपको जो भी S.D. (Security deposit) Balance 2nd day करीब 18 लाख रिलिज कर दूंगा, जिसमे 12 LAkh SD + GST जो आप भरोगे वो भी दे दूंगा। मै श्री लूणकरण RE को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। कृपाया मेरी अर्जी को देखते हुए उसपर कार्यवाही करे। धन्यवाद एसडी आपका सुभाष शर्मा Plot No 84 SECT 3 vidhyadhar nagar Jems colony, Jpr 9799999577 28.06.22" प्रस्तुत की गई। मन् उपअधीक्षक को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है तथा मेरा श्री लूणकरणजी आरई (रेजीडेन्टल इन्जनियर) से किसी भी प्रकार का रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है और न ही किसी प्रकार की रंजिश है। मैने अपनी फर्म भव्य कन्स्ट्रक्शन कंपनी के मार्फत राजस्थान अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2017 में रविन्द्र मंच में इण्टररियर डेकोरेशन रेनोवेशन का कार्य किया गया था, उक्त कार्य करीबन 1 करोड़ रूपये का भूगतान पैण्डिंग था, जिसके सम्बंध में मैने रूडसिको के आरई श्री लूणकरण से मिला था। उन्होने आज मुझे फोन कर अपने कार्यालय में बुलाया और उन्होने मुझे कहा कि पचास लाख का भूगतान का आरटीजीएस कर चैक दे दूंगा, जिसके पांच लाख रूपये लगेगें। उसने मुझे कहा कि कल ही आप रूपये दे देना और आपका आरटीजीएस हो जायेगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। समय 4.50 पीएम पर परिवादी श्री सुभाष शर्मा से ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली मांग सत्यापन के विषय में अवगत कराया तो परिवादी ने कहा कि लूणकरणजी से मिलकर वार्ता करूंगा तथा जो वार्ता होगी उसको रिकार्ड करके रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी सुभाष शर्मा व कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। कानि. श्री प्रदीप कुमार से कार्यालय के मालखाना से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड मंगवाया एवं मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रकिया नियमानुसार समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मै आज 12.00 बजे लूणकरणजी एक्सईएन से मिलकर आया। उन्हाने मुझे कल कार्यालय में बुलाया है। इसलिए कल कार्यालय समय पर मै उसके पास जाउंगा। मुझे अभी डीएलबी ऑफिस कुछ कागज सबमिट करने है। इस पर मै कल कार्यालय समय पर ब्यूरो कार्यालय में आउंगा। दिनांक 29.06.2022 को 10.50 एएम पर परिवादी सुभाष शर्मा के कार्यालय हाजा में उपस्थित आने पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाया गया व मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत कराकर कार्यालय आलमारी से वाईस रिकार्डर निकालकर कानि0 को सुपुर्द किया गया। कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ जाने हिदायत की गई।

Suresh

परिवादी श्री सुभाष शर्मा ने बताया कि लूणकरणजी रूडसिको की बिल्डिंग में द्वितीय तल पर बैठते है। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा प्रदीप कानि0 को परिवादी श्री सुभाष शर्मा की प्राईवेट कार का चालक बनाकर भेजने व परिवादी को गाड़ी में मोबाईल छोडने की हिदायत दी गई। कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को संदिग्ध के पास भेजने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर रवाना करने के पश्चात् आप परिवादी का मोबाईल कार में से लेकर संदिग्ध कार्यालय कक्ष जाकर परिवादी को सुपुर्द करे तथा संदिग्ध का हुलिया देखकर गोपनीय रूप से मुकीम रहे। तत्पश्चात् श्री प्रदीप कुमार कानि0 को परिवादी श्री सुभाष शर्मा के साथ उसकी प्राईवेट कार में रवाना किया गया। गोपनीय कार्यवाही की सम्भावना को देखते हुये श्री नमोनारायण कानि. 453 को दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु तहररी देकर रवाना किया गया।समय 12.00 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. परिवादी सुभाष शर्मा के साथ कार्यालय में उपस्थित हुआ व कानि0 ने अपने पास रखा वाईस रिकार्डर पेश किया और अवगत कराया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर रूडसिको के कार्यालय, जवाहर नगर, जयपुर पहुंचे, जहां पर परिवादी ने दूर से रूडसिको की बिल्डिंग बताई और कहां कि आप गाड़ी चलाना और मै पीछे बैठ जाता हूं। इस पर मेरे द्वारा गाड़ी की ड्राईवर सीट पर बैठकर समय करीबन 11.26 एएम पर परिवादी श्री सुभाष शर्मा को वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द किया और रवाना होकर रूडसिको के कार्यालय पहुंचे, जहां पर परिवादी द्वारा अपना मोबाईल को कार में छोड़कर संदिग्ध से वार्ता करने के लिए रवाना होते है और मैंने कार बिल्डिंग के बाहर पार्किंग में लगाकर मोबाईल लेकर पीछे-पीछे द्वितीय तल पर संदिग्ध के कार्यालय कक्ष, जहां पर लूणकरण की नेम प्लेट लगी हुई थी में जाकर परिवादी को मोबाईल दिया और संदिग्ध के पूछने पर परिवादी ने मुझे ड्राईवर बताया और फिर मैंने बाहर आकर अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम हो गया। कुछ देर बाद परिवादी संदिग्ध के साथ बाहर आया और मैंने परिवादी को कार में बिठाकर रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया। इस पर परिवादी ने कानि0 के कथनो की ताईद करते हुए कहा कि '' मै रवाना होकर लूणकरण जी के पास जाकर वार्ता की तो उन्होने अकाउण्टेंट की माताजी की मृत्यु होना बताकर एक तारीख के दिन होना बताया और मेरे भूगतान सम्बंधित काम होने के बारे में पूछने पर उन्होने अकाउण्टेंट द्वारा घर पर ही काम करने के बारे में बताया और कहा कि चैक आपके सामने ही काट दूंगा। उन्होने जुगाड़ के बारे में पूछा तो मैंने उसको पांच लाख रूप्ये की व्यवस्था नही होने और मुबंई से हवाला के जरिये दो बजे तक आना बताने की कहने पर उसने कहा कि दो बजे तक लाणे की कहा तो मैंने उसको अमाउण्ट ज्यादा होने की कहा तो उसने कहा भूगतान आधा करवा लो ओर 25 हो जायेगा। उसने पांच लाख रूपये कम लेने के लिए इन्कार कर दिया और कहा आपके सामने मै पांच ही लेता हूं और आप किसी भी ठेकेदार से पूछ लो चाहे राजाराम से पूछ लो और पांच से कम कभी नही लिए, मैंने उसको दीक्षीत को पैसा मेरे द्वारा देने की कहने पर उसने कहा कि कोई नही मानता और मेरे द्वारा रिहायत देने के बारे में कहा गया तो लूणकरण जी ने नाराज होकर कहा कि इस बारे में बात ही मत करो आप कराना चाहो तो ठीक'' इत्यादी वार्ता हुई। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो कानि0 के कथनो की ताईद हुई। मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से रिश्वत का आदान-प्रदान आज ही संभव है। अत: आज ही ट्रेप कार्यवाही के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया। परिवादी को रिश्वती राशि के 5 लाख रूपये पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने अवगत कराया कि मै 3 बजे तक रिश्वती राशि की व्यवस्था करके कार्यालय में उपस्थित आउंगा। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री नमोरानायण कानि0 नं0 453 मय दो स्वतंत्र गवाहन के उपस्थित आये, जिनसे मन् उपअधीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा तो अपना-अपना नाम श्री रामस्वरूप प्रसोयां पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल प्रसोयां, उम्र 54 साल, निवासी कुन्दनपुरा पुलिस थाना खोनागोरियान, जयपुर हाल चौकीदार, अभियात्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर मो.नं.- 992844989 2. श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, उम्र 32 साल निवासी ग्राम पोस्ट तूंगा, तह. बस्सी, जिला जयपुर हाल वन रक्षक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन जयपुर मो. नं.- 9828099628 बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहन से गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने अपनी अपनी सहमति प्रदान की गई।

समय 3.15 पीएम पर परिवादी श्री सुभाष शर्मा कार्यालय में उपस्थित आये व रिश्वती राशि 5 लाख रूपये देने में असमर्थता जताकर 1.57 लाख रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा व 3.50 लाख डमी करेंसी के साथ ट्रेप कार्यवाही को अंजाम देने को अनुरोध किया, जिस पर उक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों से उचित दिशा निर्देश प्राप्त किये जाकर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री सुभाष शर्मा का पूर्व से उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री रामस्वरूप प्रसोयां व श्री दिनेश कुमार शर्मा का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहन को आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी श्री सुभाष शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।समय 4.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहन श्री रामस्वरूप प्रसोयां व श्री दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष परिवादी श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकुमार शर्मा, उम्र 71 साल निवासी प्लाट नं. 84, सेक्टर 3, जैम्स कॉलोनी, विधाधर नगर, जयपुर को उसके द्वारा रविन्द्र मंच जयपुर में इंटीरियर डेकोरेशन रेनोवेशन के किये गये कार्य के 1 करोड़ रूपये के पैण्डिंग बिलो में से 45 लाख रूपये का भुगतान करने की एवज में संदिग्ध से दिनांक 29.06.2022 को हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जाने वाली 5 लाख रिश्वत राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 314 नोट कुल राशि 1.57 लाख रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले ''भारतीय मनोरंजन बैंक'' की डमी करेंसी नोटों की 7 डमी करेंसी की गढ़ीया (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) कुल 700 नोट, राशि 3.5 लाख रूपये निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये, इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 5 लाख 7 हजार रूपये (एक लाख 57 हजार प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं तीन लाख पचास हजार डमी करेंसी) पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 1,57,000 रू. (एक लाख सतावन हजार) रूपयों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 700 नोट कुल राशि 3,50,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर ''भारतीय मनोरजंन बैंक'' लिखा हुआ है। जिन पर कोई भी नम्बर अंकित नही है। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जानी है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 314 नोटो एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 700 नोटो पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि. 438 भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ को एचएम कार्यालय में बुलाया जाकर एक अखबार पर कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त रिश्वत राशि के सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये डमी करेंसी के पांच-पांच सौ के 700 नोटों की 7 गड्डीयां बनाई जाकर प्रत्येक गड्डी पर पृथक-पृथक उपर-नीचे फिनोफ्थलीन पाउडर लगे प्रचलीत भारतीय मुद्रा के एक-एक नोट लगाये गये। इस तरह फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये डमी करेंसी एवं प्रचलीत भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ के 714 नोटों (700 नोट डमी करेंसी एवं 14 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा) की 7 गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में 102-102 नोट) बनाई गई व प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ के 300 नोटों की तीन गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) बनाई गई। परिवादी श्री सुभाष शर्मा की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा से लिवाई जाकर उनके पास स्वयं के मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे प्रचलीत भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 300 नोट कुल राशि 1,50,000 रूपये (तीन गड्डीयों) को सीधे ही श्री ओमप्रकाश कानि. 438 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दांई व बांई जेब में रखवाये गये। डमी करेंसी मय प्रचलीत भारतीय मुद्रा कुल राशी 3,57,000 रूपये (3.50 लाख डमी करेंसी व 7 हजार प्रचलित भारतीय मुद्रा) की 7 गड्डीयों को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर परिवादी को सम्भलाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशी को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध को रिश्वती राशि देते समय डमी करेंसी का आभास नही होने देने का प्रयास करें तथा होशियार व चौकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां-कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार ट्रेप टीम के किसी भी सदस्य को या मुझे मिस कॉल या निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता

को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात प्रदीप कुमार कानि. 245 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री ओमप्रकाश कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनो हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर संदिग्ध इन रंग लगे हुये नोटों को अपने हाथों से छुएगा एवं उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री ओमप्रकाश कानि. से कार्यालय की अलमारी मे रखवाया गया तथा अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर श्री ओमप्रकाश कानि. के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया व उक्त गिलास को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये व नये गिलास ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री ओमप्रकाश कानि. 438 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। परिवादी व संदिग्ध के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड लगाकर श्री प्रदीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी जब संदिग्ध के पास जाये तब परिवादी को रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रवाना करें। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर हस्ब कायदा पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 4.42 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुभाष शर्मा ने अवगत कराया कि मै लूणकरणजी से एक बार चैक तैयार करने सम्बंधी वार्ता करूंगा। इस पर समय करीबन 4.46 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री प्रदीप कुमार कानि0 से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9799999577 से संदिग्ध श्री लूणकरण के मोबाईल नम्बर 9982609440 पर ऑपन स्पीकर करा कर मिलाया गया तो संदिग्ध का फोन बिजी होना पाया। तत्पश्चात् समय करीबन 4.49 पीएम पर पुनः कानि0 से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बरो से संदिग्ध के मोबाईल नम्बरो पर ऑपन स्पीकर कराकर वार्ता करवाई गई उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया जाकर वाईस रिकार्डर बंद करवाया गया। उक्त वार्ता में ''संदिग्ध श्री लूणकरण ने तीन बजे तक आने के बारे में कहने पर परिवादी द्वारा चैक तैयार होने के सम्बंध में पूछा तो संदिग्ध ने कहा कि आप मेरे साथ दीक्षीत जी के घर पर चलो और वही पर चैक बना के लाउंगा। परिवादी द्वारा पैसो के बारे में बताने पर संदिग्ध ने कहा कि कहां पर आऊं। परिवादी ने परेशान होने के बारे में कहने पर संदिग्ध ने कहा कि मै तो देने के लिए तैयार हूं। तथा परिवादी द्वारा संदिग्ध को चैक को हाथ में लेने व साईन करके मेरे को पकड़ा देने व मै आपको पैसा पकड़ा दूंगा इस पर संदिग्ध द्वारा सहमति देकर पहले चैक बनाने के बारे में कहा जाता है और फिर बताने के बारे में कहा जाता है'' इस मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। समय 5.12 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बरो से संदिग्ध के मोबाईल नम्बरो पर ऑपन स्पीकर कराकर वार्ता करवाई गई उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया जाकर वाईस रिकार्डर बंद करवाया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध द्वारा ''जीएसटी भरने सम्बंधी वार्ता कर संदिग्ध ने कहा कि जीएसटी का पैमेंट अटकने के बारे में कहा गया। परिवादी द्वारा संदिग्ध कल देने के बारे में कहने पर संदिग्ध द्वारा कल का क्या आज ही भरने के बारे में कहा जाता है और वही पर जाने के बारे में कहा जाता है। मै घर पर ही लेकर जाउंगा इस पर परिवादी द्वारा घर से लेने की कहने पर कहा कि जल्दी से जल्दी भर दो आज की डेट में काट देगें। शाम का आना चाहो तो प्रतापनगर हूं, आपको लोकेशन भेज दूंगा और जीएसटी भरने के बारे में कहा जाता है। कल बिजी होने के बारे में बताया जाता है।'' इस पर परिवादी कार्यालय में ही उपस्थित रहने व संदिग्ध फोन आने पर अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी गई।

समय 7.02 पीए पर पुनः परिवादी के मोबाईल नम्बरो पर संदिग्ध श्री लूणकरण का कॉल आने पर कानि0 प्रदीप कुमार से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी का फोन ऑपन स्पीकर कराकर वार्ता करवाई। उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया जाकर वाईस रिकार्डर बंद करवाया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध द्वारा सीए से बात कर जीएसटी भरने सम्बंधी वार्ता कर आठ बजे तक चैक बनाकर व सारा बना घर पर ले आउंगा और चैक कल की डेट में बनेगा। मै आठ बजे घर पर चैक लेकर आ जाउंगा और अपना मकान का एड्रेस बताकर द्वारकापुरी के सामने मिलने की वार्ता कही जाती है। घर पर आरटीजीएस की कॉपी लेकर आने की व देने के की कहा जाता है।'' इस पर परिवादी को संदिग्ध फोन आने पर अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय 7.46 पीएम पर पुनः परिवादी बताया कि मेरे पास लूणकरण जी का फोन आया था। उन्होने बताया कि प्रिन्टर नही चलने के कारण प्रिन्ट नही आ रहा है। इसलिए ऑफिस से प्रिन्ट मंगवाया है। लूणकरणजी से कुंभा मार्ग पर स्थित शर्मा स्विट्स की दुकान के सामने मिलने की तय हुई है। लूणकरण जी ने कहा कि मै वही से होकर आउंगा। जिस पर ब्यूरो स्टाफ को अलर्ट किया गया। समय 7.55 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी, श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उपअधीक्षक पुलिस मय श्री प्रदीप कुमार कानि. 245, परिवादी श्री सुभाष शर्मा व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को साथ लेकर परिवादी के प्राईवेट वाहन व श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्रीमती पिंकी महिला कानि. 11 मय स्वतंत्र गवाहन श्री रामस्वरूप प्रसौयां मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री मय चालक श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 नं0 552 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8798 एवं श्री हिमांशु अति0 पुलिस अधीक्षक के साथ श्री नमोनारायण मीणा कानि0 नं0 453 मय स्वतंत्र गवाहन श्री दिनेश कुमार शर्मा मय चालक श्री बाबूलाल कानि0 चालक नं0 563 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूडी 1391 के वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हाजा से कुम्भा मार्ग, जयपुर की ओर रवाना होकर कुंभा मार्ग पर स्थित शर्मा स्विट्स की दुकान से कुछ दुरी पूर्व गाड़ीया सड़क के किनारे पर लगवाई तथा संदिग्ध के आने के इंतजार में मुकीम हुए। समय 9.21 पीएम पर परिवादी ने मन् उपअधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि लूणकरण जी ने जरिये फोन अवगत कराया कि अभी तक मै मानसरोवर दीक्षीत जी के घर पर हूं। अभी तक आपके कागजातों का प्रिन्ट नही निकला है। अब प्रिन्टर आया है। मै प्रिन्ट निकलावर आ रहा हूं और इंतजार करने के लिए कहा है। कुछ समय पश्चात परिवादी की जरिये फोन संदिग्ध श्री लूणकरण से वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता कानि0 श्री प्रदीप कुमार से वाईस रिकार्डर चालु करवाकर रिकार्ड करवाई गई। उक्त वार्ता में ''संदिग्ध द्वारा आने की कहने पर परिवादी द्वारा बारीश होने के कारण सांगानेर पुलिया के नीचे मिलने की कहने पर संदिग्ध द्वारा सहमति दी जाती है और काम होने की बारे में पूछने पर काम होने की कहा जाता है और सांगानेर पुलिया के नीचे मिलने का स्थान निर्धारित किया जाता है।'' इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप टीम को सांगानेर पुलिया नीचे सांगानेर जाने वाले कट से पूर्व रूकने की मुनासिब हिदायत देकर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245, परिवादी श्री सुभाष शर्मा व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को साथ लेकर सांगानेर पुलिया के लिए रवाना हुआ। समय 9.41 पीएम पर मन् उपअधीक्षक मय श्री प्रदीप कुमार कानि. 245, परिवादी श्री सुभाष शर्मा व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को साथ लेकर सांगानेर पुलिया के पास पहुंचे, जहां पर पीछे पीछे शेष ट्रेप टीम भी पहुंच चुकी है। श्री प्रदीप कुमार कानि0 को परिवादी को रिश्वती राशि लेन-देन हेतु संदिग्ध के पास भेजने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालु करके सुपुर्द करने व परिवादी को रिश्वत राशि देने व चैक प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित ईशारा करने की मुनासिब हिदायत देकर कानि0 व परिवादी को परिवादी की प्राईवेट कार से रवाना किया गया। दर्ज रहे कि परिवादी श्री सुभाष शर्मा को समय 9.43 पीएम पर प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम के परिवादी के ईशारे के इंतजार में छुपाव हासिल करते हुये मुकिम हुये। तत्पश्चात परिवादी व प्रदीप कुमार कानि. परिवादी की निजी कार नं. आरजे नं. 14 एनसी 1751 से संदिग्ध को रिश्वती राशि देने हेतु सांगानेर पुलिया के पास मुकिम हुये, तत्पश्चात एक संदिग्ध कार नं. आरजे 14 टीडी 3656 परिवादी की कार के पास आई, कुछ देर रूकी, और वापस घूमकर सांगानेर पुलिया के नीचे आकर रूकी और उसके पीछे-पीछे परिवादी की कार भी आती नजर आई फिर उक्त संदिग्ध कार टोंक रोड पर टोंक

की तरफ रवाना हुई तो परिवादी की कार भी उसके पीछे पीछे रवाना हुई तो मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही एसीबी टीम के उनके पीछे पीछे अपने-अपने वाहन से रवाना हुये, उक्त संदिग्ध वाहन व परिवादी की कार वक्त करीब 10.00 पीएम पर चाकसू बस स्टेण्ड सांगानेर पुलिया के पास पहुंचे। वहां पर परिवादी अपनी कार से नीचे उतरकर अपने हाथ में रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि के बंडल लेकर संदिग्ध की कार नं0 आरजे 14 टीडी 3656 में पीछे की बांयी सीट पर जाकर बैठ गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम के के साथ गोपनीय रूप से परिवादी के निर्धारित ईशारा के इंतजार में संदिग्ध की कार के आसपास ट्रेप जाल बिछाया गया। तत्पश्चात 5-7 मिनट बाद में परिवादी ने अपने हाथ से गाडी का शीशा उतारकर निर्धरित ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाह व एसीबी टीम के संदिग्ध की कार के पास पहुंचा तो परिवादी ने ईशारे से बताया कि अभी तक संदिग्ध ने उसको चैक नहीं दिया है, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय टीम गोपनीय रूप से वापस अपने निर्धारित स्थान पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में पुनः मुकीम हुये। इसके पश्चात करीब 4-5 मिनट बाद में परिवादी ने संदिग्ध की कार की पीछे की बांयी सीट का शीशा खोलकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाह व एसीबी टीम के संदिग्ध की कार के पास पहुंचकर कार का घेरा डाला और कार के दरवाजे खोले तो कार में बैठा परिवादी बाहर आया, जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में सुपुर्द किये गये वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर, बंद कर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी से पूछा तो उसने कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये लूण करण जी है, जिन्होंने अभी मेरे को कार की लाईट जलाकर एक चैक व आरटीजीएस का लैटर दिया है, जिसकी एवज में इन्होंने मेरे से अभी अभी 5 लाख 7 हजार रूपये लेकर अपने ब्रीफकेस में रख लिये है, परिवादी से उक्त चैक व आरटीजीएस का लैटर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुये सावधानीपूर्वक स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा से संदिग्ध का कलाई से उपर बांया हाथ व श्री नमोनारायण कानि0 नं0 453 से संदिग्ध का कलाई से उपर दांया हाथ पकडवाया गया। संदिग्ध को उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता लूण करण कुम्हार पुत्र श्री सूरज मल कुम्हार उम्र 60 साल निवासी वीपीओ देवल, पुलिस थाना शाहपुरा, जयपुर हाल प्लाट नं. 195/106, प्रताप नगर, एनआरआई कॉलोनी के पास, सेक्टर-19, सांगानेर, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर हाल रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), राजस्थान शहरी पेयजल, सिवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको), कार्यालय मोनोलेक हॉस्पिटल के पास, 4-एसए-24, जवाहर नगर, जयपुर बताया व कार के चालक को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम समय सिंह पुत्र श्री तेजराम मीणा उम्र-33 साल, निवासी-साकरवाल, पुलिस थाना-टोडाभीम जिला करौली मो0नं0-6377301767 हाल कार नं0 आरजे 14 टीडी 3656 का निजी कार चालक होना बताया। चूंकि उक्त स्थान भीडभाड वाला व सडक के उपर स्थित है तथा बारिश होने की वजह से उक्त स्थान पर आगे की कार्यवाही किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निजी कार के चालक समय सिंह को सरकारी बोलेरो में बिठाकर, संदिग्ध लूण करण कुम्हार को उसी निजी कार में यथा स्थिति में बैठे रहने की हिदायत कर कार को हमराह लेकर आगे की कार्यवाही हेतु उक्त स्थान से नजदीक के सुरक्षित स्थान पुलिस थाना सांगानेर जयपुर के लिए रवाना हुआ। हमराह एसीबी टीम को भी पुलिस थाना सांगानेर में पहुंचने के निर्देश दिये गये। समय 10.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी लूणकरण व एसीबी टीम के श्री नमोनारायण कानि. 453 व स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा के पुलिस थाना सांगानेर पहुंचा। शेष एसीबी स्टाफ भी पुलिस थाना सांगानेर में पहुंच चुका है, अतः नियमानुसार अनुमति लेकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। आरोपी को सावधानी पूर्वक कार से नीचे उतारकर उसके ब्रीफकेस सहित पुलिस थाना सांगानेर के थानाधिकारी कक्ष में लेकर आया गया। परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी स्टाफ के सामने संदिग्ध को परिवादी श्री सुभाष शर्मा से रिश्वत के रूप में लिए गये रूपयों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जो रूपये मैने श्री सुभाष शर्मा से लिए है वो उसी समय मैने ब्रिफकेस में रख दिये थे। अतः आरोपी श्री लूण करण कुम्हार की ब्रिफकेस को खोलकर देखा गया तो उसमे परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत के रूप में दिये गये रूपयों की गड्डीयां मिली जिनमें से तीन गड्डियां ब्रिफकेस में खुली अवस्था में व 7

गड्डियां प्लास्टिक की थैली में मिली जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार शर्मा से गिनवाया गया तो 500-500 रूपयों की कुल 10 गड्डियां होना पाई गई। जिनके बारे में आरोपी लूण करण कुम्हार को पूछा गया तो उसने बताया कि ये रूपये सुभाष शर्मा के कार्य करवाने में मेरे जेब से खर्च हुये थे, इसलिए मैने मेरे जेब से खर्च किये गये रूपये ही इससे लिए है, मैने इससे रिश्वत के रूप में रूपये नही लिये है। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री सुभाष शर्मा ने बताया कि इन्होने मेरे द्वारा रविन्द्र मंच जयपुर में इंटीरियर डेकोरेशन रेनोवेशन के मेरे द्वारा किये गये कार्य के 1 करोड़ रूपये के पैण्डिंग बिलो में से 45 लाख रूपये का भुगतान करने की एवज में आज दिन में 5 लाख रूपये की मांग की थी जिसकी एवज में इन्होने अभी अभी ये 5 लाख 7 हजार रूपये मेरे से रिश्वत के रूप में ही लिये है। जिस पर संदिग्ध से पुनः परिवादी द्वारा बताई गई उक्त बातों के बारे में पूछा गया तो आरोपी लूण करण कुम्हार ने बताया कि श्री सुभाष शर्मा आज दिन के समय में मेरे कार्यालय में आया था तथा इसने मेरे से अपने पैडिंग बिलो के भुगतान के संबंध में बाते की थी जिस पर मैने इसको कहा था कि आज फण्ड आ जायेगा और आज शाम तक आपका काम हो जायेगा। अभी कुछ समय पहले ही मैने फोन कर श्री सुभाष शर्मा को मेरी कार में बुलाया था जिस पर ये मेरी कार में आकर बैठा था। कार में इसको मैने 45,92,060 रूपये का एक चैक व आरटीजीएस का कल की दिनांक 30.06.2022 में डिस्पेच किया हुआ लैटर दिया था। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्त उक्त चैक व आरटीजीएस लैटर का अवलोकन किया गया तो चैक सं. 600708, रूपये 45,92,060/- का होना पाया गया तथा आरटीजीएस लैटर कमांक रूडसिको/आरएम-कोटा/ 55 दिनांक 30.06.2022, द ब्रांच मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक, हिरापथ, मानसरोवर, जयपुर के नाम होना पाया गया। ब्रिफकेस में परिवादी सुभाष शर्मा की फर्म मैसर्स भव्या कंस्ट्रक्शन, एस-2, रियल एन्क्लेव के.के. मार्ग, प्लाट नं. ए.ए. 1, अम्बाबाड़ी, जयपुर द्वारा रविन्द्र मंच के रिपेयर मेटिनेंस के कार्य से संबंधित पत्रावली पाई गई जिस पर कम सं. 1 से 40 तक अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त के अलावा आरोपी का आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पैन्शन भुगतान आदेश मिले जिनकी फोटो प्रतिलिपी प्राप्त कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया व उपरोक्त मूल दस्तावेज पृथक से सुपुर्द किये गये। आरोपी से उक्त रिश्वती राशि, 45,92,060/- रूपये का चैक व आरटीजीएस के लैटर के बारे में पूछा तो कहा कि ये चैक कल की तारीख में ही डिस्पेच होगा। कल मेरा रिटायरमेन्ट है इसलिए मैने आज ही ये चैक काटकर इनको दे दिया, मेरे से गलती हो गई। उक्त मूल चैक व आरटीजीएस लैटर की फोटो प्रति पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई एवं मूल चैक व आरटीजीएस लैटर परिवादी को सुपुर्द किये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा वाईस रिकॉर्डर में परिवादी व आरोपी लूण करण की वक्त रिश्वत राशि लेन-देन की रिकॉर्डेड वार्ताओं को सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन के तथ्यों की पुष्टी हुई। आरोपी लूणकरण कुम्हार की कार के चालक श्री समय सिंह से उक्त घटना कम में संबंध में पूछा गया चालक समय सिंह ने बताया कि मै कार में चालक के रूप में कार्य करता हूं। आज शाम को जवाहर नगर रूडसिकों के ऑफिस से मानसरोवर में अकाउन्टेट दिक्षित के पास हमारे सर लूण करण जी के साथ गया था, वहां पर सर ने चैक व अन्य कागजात तैयार किये थे। उसके बाद सर की किसी से फोन पे बार-बार वार्ता हो रही थी, फोन पर हो रही वार्ताओं में किसी व्यक्ति से सांगानेर पुलिया के पास मिलने की वार्ता हुई थी। फिर हम लोग 9-9.15 पीएम पर मानसरोवर से रवाना होकर सांगानेर पुलिया के पास आये और सर ने किसी से फोन पर बात की, बरसात होने के कारण सांगानेर पुलिया के नीचे चलने के लिए कहा, सांगानेर पुलिया के निचे लोगों की भीड़ होने से सर ने फोन कर उन व्यक्ति को सांगानेर पुलिया जहां खत्म होती है, वहां पर आकर मिलने को कहा। जिस पर हम लोग सांगानेर पुलिस टोंक रोड पर जहां खत्म होती है, वहां जाकर रूके। वहां एक गाड़ी पिछे से आई व हमारे आगे आकर रूक गई। जिसमें से एक व्यक्ति हमारे सर के पास आकर गाडी में बैठ गया। फिर सर व उस व्यक्ति की आपस में चैक व रूपयों के लेन-देन संबंधित वार्ता हो रही थी, सर अपने मोबाईल की टार्च लाईट में उस व्यक्ति को कुछ कागज दिखा रहे थे, लूण करण सर ने उस व्यक्ति से पूरे पैसे लाने संबंधि बात पूछी तो उस व्यक्ति ने हामी भरते हुये पैसे लाना बताया था। सर व उस व्यक्ति में आपस में फिर कुछ पैसे के लेन-देन व चैक के लेन-देन के बारे में बाते हो रही थी। कुछ समय बाद चार-पांच व्यक्तियों ने हमारी कार के पास आये व श्री लूण

करण जी को उन्होने उसी कार में बैठे रहने कहकर मुझे कार से नीचे उतारकर बोलेरों में बैठाकर पुलिस थाना सांगानेर में ले आये। लूण करण जी ने कितने रूपये लिये है इसकी मुझे कोई जानकारी नही है क्योंकि मैं आगे चालक सीट पर बैठा था और पिछे की तरफ आसानी से नही देख पा रहा था, केवल उनकी वार्ताएं ही सुन पा रहा था। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी लूण करण कुम्हार के हाथो व ब्रिफकेस के धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच की गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के तीन गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री लूण करण कुम्हार के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् श्री लूण करण कुम्हार की ब्रिफकेस के अन्दर जहां रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उक्त स्थान का धोवन लेने के लिए कपड़े की चिन्दी से रगड कर उक्त चिन्दी को तीसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क B-1, B-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपड़े की चिन्दी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर, संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क C अकिंत किया गया। आरोपी लूण करण कुम्हार के ब्रिफकेस से बरामद हुई 500-500 रूपयों की कुल 10 गड्डियों का निरीक्षण किया गया तो डमी करेंसी एवं प्रचलीत भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ के 714 नोटों (700 नोट डमी करेंसी एवं 14 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा) की 7 गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में उपर नीचे-प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के एक-एक नोट) पाये गये व प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ के 300 नोटों की तीन गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) मिले है, जिन्हे पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। ब्रीफकेस से बरामद डमी करेंसी के कुल 700 नोट कुल राशि 3,50,000 रूपये जिन पर "भारतीय मनोरजंन बैंक" लिखा हुआ है। ब्रीफकेस से बरामद उक्त डमी नोट मय प्लास्टिक की थैली को एक साथ कपड़े की थैली में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क D अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार आरोपी लूण करण कुम्हार की ब्रिफकेस से मिले प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल 1.57 लाख रूपयों को धागे से बांधकर नोटों के नम्बर दिखते हुये एक सफेद कागज में सील मोहर कर कागज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के कब्जा से बरामद ब्रिफकेस को एक सफेद कट्टे में रखकर, कट्टे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क BC अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी लूण करण कुम्हार को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.06.2022 एवं रिश्वत राशी लेन-देन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता का स्वयं की आवाज से मिलाने करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी लूण करण कुम्हार रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), रूडसिको, जयपुर द्वारा परिवादी श्री सुभाष शर्मा से, परिवादी द्वारा रविन्द्र मंच जयपुर में इंटीरियर डेकोरेशन रेनोवेशन के किये गये कार्य के 1 करोड़ रूपये के पैण्डिंग बिलो में से 45 लाख रूपये का भुगतान करने की एवज में, दिनांक

Suresh

29.06.2022 को हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में 5.7 लाख रूपये रिश्वत राशि (1. 57 लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 3.50 लाख डमी करेंसी) प्राप्त करने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया गठित पाया गया है। अतः आरोपी लूण करण कुम्हार पुत्र श्री सुरज मल कुम्हार उम्र 60 साल निवासी वीपीओ देवल, पुलिस थाना शाहपुरा, जयपुर हाल प्लाट नं. 195/106, प्रताप नगर, एनआरआई कॉलोनी के पास, सेक्टर-19, सांगानेर, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर हाल रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), राजस्थान शहरी पेयजल, सिवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको), कार्यालय मोनोलेक हॉस्पिटल के पास, 4-एसए-24, जवाहर नगर, जयपुर को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुभाष शर्मा की निशानदेही से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। आरोपी की ठेके पर ली हुई सरकारी कार की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो उसमें कोई संदिग्ध वस्तु या दस्तावेजात नहीं पाये गये, जिस पर कार चालक श्री समय सिंह को कार नं0 आरजे 14 टीडी 3656 दुरूस्त हालात में आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द की गई। परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई। दिनांक 30.06.2022 को 12.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री सुभाष शर्मा के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.06.2022 वक्त करीब 11:26 के दौरान परिवादी श्री सुभाष शर्मा व आरोपी श्री लूण करण कुम्हार के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता का मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को कार्यालय की आलमारी से निकालकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वॉईस क्लिपस को बारी-बारी सुना जाकर परिवादी श्री सुभाष शर्मा द्वारा उपरोक्त आवाजों में अपनी व आरोपी लूण करण की आवाज पहचान की गई, जिसकी शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया एवं वक्त रिश्वत लेन-देन के दौरान परिवादी श्री सुभाष शर्मा व आरोपी श्री लूण करण कुम्हार के मध्य हुई वार्ता दिनांक 29. 06.2022 वक्त करीब 16:46, 16:49, 17:12, 19:02, 21:34 एवं 21:43 रिकार्ड वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को कार्यालय की आलमारी से निकालकर विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वॉईस क्लिपस को बारी-बारी सुना जाकर परिवादी श्री सुभाष शर्मा द्वारा उपरोक्त आवाजों में अपनी व आरोपी लूण करण की आवाज पहचान की गई, जिसकी शब्द ब शब्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करने के बाद पांच खाली सीडीयां मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता का विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वॉईस क्लिपस को बारी-बारी मैमोरी कार्ड से पांच अलग-अलग सीडीयो मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिपस सीडीयां में वार्ता रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांचो सीडीयो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग सीडी मार्क A-1, A-2, A-3, A-4 व A-5 क्रमशः अंकित किये गये। उक्त सीडीयो में से दो सीडी मार्क A-1 एवं मार्क A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। मार्क A-1, A-2 को सुरक्षार्थ पृथक से मालखाना में जमा करवाया जायेगा। सीडी मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान के प्रयोजनार्थ, सीडी मार्क A-4 (मुल्जिम कॉपी), सीडी मार्क A-5 (एडीपी कॉपी) खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को पृथक से प्लास्टिक थैली में डालकर माचिस की डिबी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क क्रमशः MC अंकित किया गया एवं रिश्वत लेन-देन के दौरान की गई वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को पृथक से प्लास्टिक थैली में डालकर माचिस की डिबी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क क्रमशः MC-1 अंकित किया गया। दिनांक 29.06.2022 समय करीब 16:46 की अप्रासंगिक वार्ता होने के कारण वार्ता रूपान्तरण तैयार नहीं किया गया। प्रकरण से संबंधित जब्तशुदा माल वजह सबूत एवं आर्टिकल्स जरिये तहरीर सीपीएस के मालखाना में जमा करवाया गया। आरोपी का सेवा विवरण, प्रथम नियुक्ति आदेश एवं वर्तमान पदस्थापन आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त की गई।

अब तक सम्पुर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री लूण करण कुम्हार रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), रूडसिको, जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर होते हुये परिवादी श्री सुभाष शर्मा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रविन्द्र मंच जयपुर में सन् 2017 में इंटीरियर डेकोरेशन रेनोवेशन के किये गये वैध कार्य के 1 करोड़ रूपये के पैण्डिंग बिलो में से 45 लाख रूपये का भुगतान करने की एवज में पांच लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 29.06.2022 को ही रिश्वत मांग के अनुसरण परिवादी श्री सुभाष शर्मा से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण के रूप में 5.07 लाख रूपये रिश्वत राशि (1.57 लाख प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 3.50 लाख डमी करेंसी) प्राप्त कर परिवादी को पैण्डिंग बिलो का 45,92,060/- रूप्ये का चैक दिया गया। आरोपी श्री लूण करण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी लूण करण कुम्हार पुत्र श्री सुरज मल कुम्हार उम्र 60 साल निवासी वीपीओ देवल, पुलिस थाना शाहपुरा, जयपुर हाल प्लाट नं. 195/106, प्रताप नगर, एनआरआई कॉलोनी के पास, सेक्टर-19, सांगानेर, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर हाल रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियन्ता), राजस्थान शहरी पेयजल, सिवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको), कार्यालय जवाहर नगर, जयपुर के विरूद्व अतंर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तें क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

Suresh 30/6/22

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री लूण करण कुम्हार, रेजिडेन्ट मैनेजर (अधिशाषी अभियंता), राजस्थान शहरी पेयजल, सिवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको), कार्यालय मोनोलेक हॉस्पिटल के पास 4-एसए-24, जवाहर नगर जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 267/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2345-49 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान, आवसन मण्डल, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।